

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4620 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 07 / 2023

दो-14-73 / 20

शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 04.07.22 से 16.07.22 तक, दिनांक 17.07.22 से 12.01.23 तक 180 दिन के प्रसूति अवकाश, दिनांक 13.01.2023 से 11.07.2023 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश के निरन्तर में दिनांक 12.07.2023 से 07.01.2024 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/4621 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 07 / 2023

दो-14-73 / 20

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
५ ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.